[Shri Prabhakar Reddy Vemireddy]

agree with that because you should consider mainly the poor students, and you can't expect everyone to get into IITs and IIMs, which come under this rule. So, I request the HRD Minister to consider this and see that the previous rule comes, and *status quo*, is maintained. They also put conditions saying that loans up to ₹ 4.5 lakh and above will not be given. That point also should be considered. The last request is, it would be proper if they continue with the same portal which was there previously, that is, the Vijay Lakshmi Portal. Thank you, Sir.

CH. SUKHRAM SINGH YADAV (Uttar Pradesh) : Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Prabhakar Reddy Vemireddy.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Prabhakar Reddy Vemireddy.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Prabhakar Reddy Vemireddy.

**Problems being faced by residents of O-Zone in Delhi**

**श्री संजय सिंह** (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है।

मान्यवर, यह दिल्ली के लाखों लोगों से जुड़ी हुई समस्या है। नदियों के किनारे 300 मीटर से लेकर 500 मीटर तक का एरिया ओजोन एरिया माना जाता था, लेकिन दिल्ली के अंदर 3-3.5 किलोमीटर तक का एरिया ओजोन एरिया में ले लिया गया है, जिसके कारण बदरपुर विधान सभा क्षेत्र, जहां पर लाखों लोग रहते हैं, अगर वे आज एक ईंट भी लगाना चाहते हैं, तो वह भी नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके कारण अकेले बदरपुर विधान सभा में 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वे वहां पर कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं, उनको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, अधिकारियों को रिश्वत देने का शिकार होना पड़ता है एवं अन्य तमाम तरीके की मुसीबतें भी उन्हें झेलनी पड़ती हैं।

मान्यवर, इसी तरीके से करावल नगर एरिया, ओखला विधान सभा क्षेत्र, श्राइन बाग, सोनिया विहार, श्रीराम कॉलोनी, मुस्तफा बाग, बुराड़ी आदि भी प्रभावित एरियाज़ हैं। यदि इन सभी इलाकों को मिला लिया जाए, तो करीब-करीब साठ-सत्तर ऐसी कॉलोनियां हैं, जिनको ओजोन एरिया के तहत बिल्कुल अवैध और अनधिकृत एरिया घोषित किया जाता है। इसके कारण उनके जीवन के सामने एक संकट पैदा हो गया है। कहने के लिए तो उन्होंने घर बना लिया, लेकिन वह घर न उनका माना जाता है, न वे वहां पर कोई निर्माण कार्य करते हैं, न वे वहां पर कुछ कर सकते हैं।

मान्वयर, दिल्ली की सरकार ने O-Zone area को निर्धारित करके यह कहा कि पुश्ते के बाहर, वहां एक पुश्ता बना हुआ है, जिस पर सड़क बनी हुई है और उसके बाद एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ कॉलोनी है, तो पुश्ते के बाहर का जितना भी एरिया है, जहां पर कॉलोनी बनी हुई है, जहां पर लोगों ने निर्माण कार्य कर रखा है, उस एरिया को निश्चित रूप से O-Zone area से बाहर लिया जाए और केन्द्र सरकार उनको नियमित करने की कृपा करे। मैं आपके माध्यम से सरकार से इसके लिए अनुरोध करता हूं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि इसी तरीके से बदरपुर में O-Zone area का demarcation किया जाए, जिससे वहां पर तीन लाख लोगों की जिन्दगियां, जो आज संकट में हैं, वे उससे बच सकें और उन्होंने वहां पर जो घरों का निर्माण किया है, उन्हें वैध करने की इजाजत दी जाए।

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu) : Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K. K. RAGESH (Kerala) : Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

**प्रो. मनोज कुमार झा** (बिहार) : महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

**श्री राजमणि पटेल** (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

**Need for a Nationwide toll-free number for eye donation**

**डा. विकास महात्मे** (महाराष्ट्र) : चेयरमैन सर, हम सबको पता है कि भारत में अंधत्व, यानी blindness की problem बहुत ज्यादा है। World में जितने भी blind लोग होंगे, उनमें से हर पांचवां इंसान भरतीय है। हम इसे eye donation या मृत्यु पश्चात् नेत्रदान से कम कर सकते हैं। जब यह नेत्रदान movement बढ़ेगा, नेत्रदान ज्यादा होगा, eye donations ज्यादा होंगे, तो यह कम हो सकता है। मैं इसके लिए सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, जिन पर मैं चाहता हूं कि अमल किया जाए। मेरा पहला सुझाव यह है कि मृत्यु पश्चात् कई बर रिश्तेदारों को लगता है कि eye donation करना चाहिए, लेकिन उस वक्त उनके पास जो eye bank है, उसका फोन नम्बर नहीं रहता है और फोन नम्बर न रहने की वजह से यह नेत्रदान नहीं हो पाता है। मृत्यु पश्चात् 4 से 6 घंटे के अन्दर ही नेत्रदान होना चाहिए, लेकिन उस वक्त तक वे फोन नहीं कर सकते और eye bank को बता नहीं सकते कि उनकी नेत्रदान करने की इच्छा है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जैसे Fire के लिए 101 नम्बर है, पुलिस के लिए 100 नम्बर है, वैसे ही eye donation के लिए भी एक ही नम्बर रहे, ताकि अगर कहीं पर भी death हो, तो जिस रिश्तेदार की भी मृत्यु पश्चात् नेत्रदान करने की इच्छा है, वह उस नम्बर पर call कर सके, ताकि eye bank के लोग वहां जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं। इससे eye donation का